(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।) 81

FORM-1
(for linear projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector **Tehri Garhwal**

No--- 487/XXVI-ACC-II (2021-2022) Dated---15-7-2022

## TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **3.255** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Executive Engineer Construction Division, P.W.D. Narendra Nagar** (name of user agency) for **Construction of Diuali to Gujrara Motor Road** (purpose for diversion of forest land) in**Tehri Garhwal** district falls within jurisdiction of **Duali and Gujrara** village (s) in **Narendra Nagar** tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 3.255 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **(I)** to annexure **(IX)** the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(b) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: **As above.**

**Signature**
**(Full name and official seal of the District Collector)**
जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल

82

FORM-II

**(for projects other than linear projects)**

Government of Uttarakhand Office of the District Collector-------

No--487/XXVI-ALC-II (2021-22) Dated----15/7/2022

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **3.255** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Executive Engineer Construction Division, P.W.D. Narendra Nagar** (name of user agency) for **Construction of Diuali To Gujrara Motor Road** purpose for diversion of forest land) in **Tehri Garhwal** district falls within jurisdiction of **Diuali & Gujrara** village (s) in **Narendra Nagar** tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **3.255** hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure … to … annexure ….

(b) the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

(c) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the garm sabha of **Diuali & Gujrara** villages(s) is enclosed as annexure….. to annexure……

(d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

(e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(f) the rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communites, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Encl: As above.

**Signature**

**(Full name and official seal of the District Collector)**

जिलाधिकारी

टिहरी गढ़वाल

**Encl.-01**

**It is further certified that - Minutes of meeting of Construction of Diuali to Gujrara Motor Road, Length 4.500Km. regarding FRA is as follows:-**

| Sl.No. | | Remark |
|---|---|---|
| (a) | The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 3.255 hectare of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee(s), Gram Shabha(s), Sub-Disivion Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure (I) to annexure (VIII) | Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. |
| (b) | The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA hav been completed and the Gram Sabha have given their consent it. | Yes copy records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. no objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is attached. |
| (c) | The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Group and Pre-agricultural communities. | Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. |

जिला पंचायत सदस्य
टिहरी गढ़वाल

दयाल सिंह रावत
सदस्य जिला पंचायत
43. मैतांण (नरेन्द्र नगर)
जिला–टिहरी गढ़वाल

समाज कल्याण अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

जिला समाज कल्याण अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी गढ़वाल

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि–की–रेती

Signature
(Full name and official seal of the District collector)

जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल

प्रारुप–30.1

# OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
# DISTRICT TEHRI GARHWAL (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Tehri** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. **Eva Ashish Srivastava** I.A.S deputy commissioner **Tehri Garhwal** on dated 10/07/22 at time ............at **Tehri** in which application claiming rights in **Tehri** area measuring **3.255** hect for the construction of **Diuali to Gujrara Motor Road** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of **Narendra Nagar** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;...Tehri....

Dated:...10/07/22...

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committe
जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल

85

प्रारुप–30.2

परियोजना का नाम— जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिऊली – गुजराडा मोटर मार्ग के अवशेष लम्बाई में निर्माण कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर।

पत्रांक— दिनांक– 23/04/22

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति, **नरेन्द्रनगर।**

उपखण्ड नरेन्द्रनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत **जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिऊली – गुजराडा मोअर मार्ग लम्बाई 4.500 कि0मी0 मोटर में निर्माण कार्य हेतु** (**3.255** हे0 आरक्षित वन भूमि, **0.00** हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, **0.00** हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल **3.255 हे0** वन भूमि ) का प्रस्ताव **लोक निर्माण विभाग, नरेन्द्रनगर** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील नरेन्द्रनगर) की दिनांक 23/4/22 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक **युक्ता मिश्र**, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

| | |
|---|---|
| 1–देवेन्द्र सिँह नेगी उपजिलाधिकारी नरेन्द्रनगर | –अध्यक्ष |
| 2–श्री एम0एस0 बिष्ट उप प्रभागीय वनाधिकारी देवप्रयाग | –सदस्य |
| 3–श्री राहुल प्रताप सिंह सहायक समाज कल्याण अधिकारी नरेन्द्रनगर | –सदस्य/सचिव |
| 4–श्री अनिल भट्ट बी0डी0सी0 क्षेत्र गंगलसी | –सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया **जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिऊली – गुजराडा मोअर मार्ग लम्बाई 4.500 कि0मी0 मोटर में निर्माण कार्य** हेतु 3.255 हे0 वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर (मुनिकीरेती) द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड नरेन्द्रनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण–कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0–58) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य, परियोजना के निर्माण हेतु 1.225 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग नरेन्द्रनगर. (प्रयोक्ता एजेन्सी) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–नरेन्द्रनगर,जनपद टिहरी गढ़वाल।

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– नरेन्द्रनगर,जनपद टिहरी गढ़वाल।

# कार्यालय उप जिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर।

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, **नरेन्द्रनगर**।

आज दिनांक 23/04/22 को जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिऊली – गुजराडा मोटर मार्ग लम्बाई 4.500 कि0मी0 हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव कार्य हेतु 3.255 हे0 वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध मे वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक उप जिलाधिकारी **नरेन्द्रनगर** की अध्यक्षता मे हुई। माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:–

| कम सं0 | अधिकारी का नाम | पद नाम | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|
| 1 | **देवेन्द्र सिँह नेंगी** | उप जिलाधिकारी,<br>नरेन्द्रनगर | [signature] |
| 2 | **श्री एम0एस0 बिष्ट** | उप प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर मुनिकीरेती | [signature] उप प्रभागीय वनाधिकारी (नरेन्द्रनगर) नरेन्द्रनगर वन प्रभाग |
| 3 | **श्री राहुल प्रताप सिंह** | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | Rahul |
| 4 | **श्री अनिल भट्ट** | क्षेत्र पंचायत सदस्य दिउली | [signature] क्षेत्र पंचायत सदस्य कोडारना वि0 ख0- नरेन्द्रनगर जिला टिहरी गढ़वाल |

प्रारुप–30.3

परियोजना का नाम– जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत आगराखाल–कुसरैला मोटर मार्ग का दिऊली से गुजराडा मोटर मार्ग के अवशेष लम्बाई में निर्माण कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम – दिऊली
तहसील नरेन्द्रनगर, जिला **टिहरी गढ़वाल**

## अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद **टिहरी गढ़वाल** के अन्तर्गत **जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिऊली–गुजराडा मोटर मार्ग के अवशेष लम्बाई में निर्माण कार्य हेतु** ( **3.255** हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.00 हे0 सिविल सोयम भूमि हे0, वन पंचायत भूमि 0.00 हे0) अर्थात कुल **3.255** हे0 वन भूमि का **लोक निर्माण विभाग** /संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **दिऊली** द्वारा दिनांक *23.04.2022* को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **ग्राम पंचायत दिऊली** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि **लोक निर्माण विभाग** (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रधान ग्राम पंचायत
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

सेवामे

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
नरेन्द्रनगर।

विषय– जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिउली–गुजराडा मोटर मार्ग के अवशेष लम्बाई में निर्माणस कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

महोदय,

हम समस्त ग्रामवासी इस बात से सहमत है कि दिऊली–गुजराडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग नरेन्द्रनगर के द्वारा जों सर्वे कार्य किया गया है, उस पर मार्ग निर्माण हेतु हम अपनी नाप भूमि राजकीय दरों पर विभाग को देने के लिये तैयार हैं।

अतः अनुरोध है कि उक्त मार्ग का निर्माण जनहित मे यथा शीघ्र किया जाय।

(1) किशन सिंह (6) [illegible]
(2) गोविन्द सिंह (7) [illegible]
(3) [illegible]
H.S. Bhedari
(4) [illegible]
जोगेन्द्र सिंह
भरतसिंह
धर्म सिंह
(5) [illegible]
(6) V.S. Bhandari

ह0/
समस्त ग्राम वासी

# प्रारुप–30.4

दिनांक 16-12-20 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत– दिऊली / खर्की

| कमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 1 | वीरेन्द्र सिंह 2 | 3 V.S. Bhandari |
| 1 | नरेश सिलस्वाल | Naresh |
| 2 | रामचन्द्र सिंह | [illegible] |
| 3 | रामचन्द्र भण्डारी | Daychand |
| 4 | वृजेश भण्डारी | B.S. [illegible] |
| 5 | मातवर सिंह | matvar singh |
| 6 | जगत सिंह | J. Bhandari |
| 7 | प्यार सिंह | Pyar S |
| 8 | नरेश सिंह | नरेश सिंह |
| 9 | रणवीर सिंह | रणवीर सिंह |
| 10 | धनवीर सिंह भण्डारी | [illegible] |

जिला पंचायत सदस्य

दयाल सिंह सवंत
सदस्य जिला पंचायत
43 ... नरेन्द्र नगर
जिला टिहरी गढ़वाल

क्षेत्र पंचायत सदस्य

क्षेत्र पंचायत सदस्य
कौडारना
वि० ख०–नरेन्द्रनगर
जिला टिहरी गढ़वाल

प्रधान ग्राम पंचायत खर्की
ह०
दि०
क्षेत्र पंचायत, नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल
ग्राम प्रधान

# अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि दिउली गुजराडा मोटर मार्ग के समरेखण के आस–पास हम बन गुर्जर न तो पहले कभी निवास करते थे और न ही वर्तमान समय में वहां पर हमारा कोई वन गुर्जर परिवार निवास करता है, दिउली गुजराडा मोटर मार्ग बनने से हम वन गुर्जरों का किसी भी प्रकार का हक प्रभावित नही होता है हमें उक्त मोटर मार्ग निर्माण से कोई आपत्ति नही है।

अतः हम सभी गुर्जर परिवार उक्त मोटर मार्ग को जनहित में शीघ्र बनाने हेतु अपनी सहमति प्रदान करते हैं।

नाम -

1. मुहम्मद रफी — ह0 मो रफी
2. ताहीर — लीयाकत अली
3. नूर हसन — नूर हसन
4. गुलाम रसूल
5. नेक बीबी

रमजानो — ह0

मो रफी

सचिव
ग्राम वनाधिकार समिति

दयाल सिंह रावत
स0जि0पंचायत / स0जि0नियोजन
43 भैंतण वार्ड, नरेन्द्रनगर

Seen
Sahu
27/04/22

सेवा में,

श्रीमान अधिशासी अभियन्ता, महोदय,
लोक निर्माण विभाग, नरेन्द्रनगर,
जनपद टिहरी गढ़वाल।

विषय : दिऊली गुजराड़ा मोटर मार्ग के शेषभाग तंदिल से गुजराड़ा के निर्माण के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के संबंध में आपका ध्यानाकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग सन् 2005 से स्वीकृत है। इस मोटर मार्ग के नहीं बनने से हमारी ग्राम पचायंत कोडारना व कलजोटी गांव आज इससे लाभान्वित नहीं हो पा रहें है। हमारी ग्राम पचायंत कोड़ारना का कलजोटी गांव पूरी तरह से पलायन की कगार पर है। उसका मुख्य कारण सड़क का ना होना है तथा हमें सभी लोगों की प्रबल मांग है कि हम सभी ग्रामवासी दिऊली गुजराड़ा मोटर मार्ग से नरेन्द्रनगर तहसील, ऋषिकेश विकासखण्ड मुख्यालय, जिला मुख्यालय, देहरादून, एयरपोर्ट, हास्पिटल आदि जाने हेतु यह मार्ग सबसे सुलभ मार्ग है तथा सबसे कम दूरी का मार्ग बनेगा। हमारी आस–पास की ग्राम सभाओं के गांव, भैड़ी, चंदनाव, ताछला, तंदिल उर हौद कडांरीगांव खर्की खालपार, दिऊली आदि क्षेत्रों में आनेजाने हेतु भी सुविधा उपलब्ध होगी।

अतः महोदय से आग्रहपूर्वक निविदन है कि ग्राम पचायंत कोड़ारना के कलजोटी व अन्य लोगों की प्रबल मांग है कि पलायन, शिक्षा, स्वास्थय, कृषि आदि कार्यों हेतु सबसे कम दूरी व सुलभ मोटर मार्ग को शीघ्रातिशीघ्र बनाने हेतु अपने स्तर से समुचित विभागीय कार्यवाही करने की कृपा करेंगे। जिससे पूरे क्षेत्र की वर्षों पुरानी मांग तथा पूरा क्षेत्र इस मोटर मार्ग जुडेगा। इस महान कार्य हेतु हम सभी ग्रामवासी आपके आभारी रहेंगे।

प्रधान ग्राम पंचायत कोडारना
ह० [signature]
दि०23-12-2020
वि० खं० नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल

[stamp] 23-12-2020

क्षेत्र पंचायत सदस्य
कोडारना
वि० ख०–नरेन्द्रनगर
जिला टिहरी गढवाल

[signature]
दयाल सिंह रावत
सदस्य जिला पंचायत
43, मैतंण (नरेन्द्र नगर)
जिला–टिहरी गढवाल

[stamp] 28/12/2020

विषय : दिऊली गुजराड़ा मोटर मार्ग के सर्वेक्षण बावत सहमति पत्र के संबंध में।

महोदय,

उक्त विषयक के संबंध में अवगत कराना है कि दिऊली गुजराड़ा मोटर मार्ग के बनने से हमारी ग्राम पंचायत कोड़ारना का कलजोटी गांव भी जुड़ रहा है, तथा 28.02.2020 को हुए सर्वेक्षण से सभी ग्राम सभावासी सहमत हैं, तथा ग्रामीणों की पुरजोर मांग है कि तंदिल से गुजराड़ा मोटर मार्ग का निर्माण का कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जाए।

अतः महोदय से निवेदन है कि ग्रामीणों की प्रबल मांग तथा क्षेत्रीय जनता की प्रबल मांग को दृष्टिगत रखते हुए सड़क के निर्माण का कार्य प्रारम्भ करने की विभागीय स्तर पर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

आपके इस कार्य हेतु सभी क्षेत्रीय एवं ग्रामीण जनमानस आभारी रहेंगे।

दिनांक......................

23-12-2020

क्षेत्र पंचायत सदस्य
कोडारना
वि० ख०-नरेन्द्रनगर
जिला टिहरी गढ़वाल

23-12-2020

दयाल सिंह रावत
सदस्य जिला पंचायत
43. बैंतण (नरेन्द्र नगर)
जिला–टिहरी गढ़वाल

23/12/2020